न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 125/2015 अपील
पंजीयन दिनांकः– 17–09–2015
निर्णय दिनांक :– 26–12–2017

श्रीमती रंजनी गुप्ता डायरेक्टर व्हेल एग्रो प्रा0 लि0 जरिये पॉवर ऑफ एर्टोनी होल्डर, कबीरपाल पिता श्री राम रेखापाल जाति पाल, निवासी 19 आई.जी.आई.गुडगांवा रोड़ कापासेडा नई दिल्ली।

––अपीलान्ट

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ (राज.)

––रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी रावभाटा प्रकरण संख्या 109/2014 निर्णय दिनांक 05–06–2015

उपस्थितिः–

1. श्री कन्हैयालाल श्रीमाली – अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांकः 26–12–2017

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी रावभाटा प्रकरण संख्या 109/2014 निर्णय दिनांक 05–06–2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौझा खरणाई तहसील रावतभाटा में खसरा नं. 418, 442, 430, 831, 816, 819 कुल किता 6 कुल रकबा 30.97 है0 भूमि प्रार्थी/अपीलान्ट के खातेदारी की है। अपीलान्ट ने खसरा नं. 417 को सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयों द्वारा गड़बड़ी कर बिलानाम रास्ता दर्ज कर दिया और नक्शे में भी

गलत तरीके से बिलानाम रास्ता अंकित कर दिया जाना बताकर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती का उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा के यहां पेश किया। उपखण्ड़ अधिकारी रावतभाटा ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प बस्सी में रखी जाकर मौका देखकर एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर आराजी नं. 417 गै.मु. रास्ता दर्ज होना मानकर व आमजन के लिए चालु होना मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 05.06.2015 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 05.12.2017 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान बताया कि मौझा खरणई तहसील रावतभाटा में खसरा नं. 418, 442, 430, 831, 816, 819 कुल किता 6 कुल रकबा 30.97 है0 भूमि प्रार्थी/अपीलान्ट के खातेदारी की है। अपीलान्ट ने खातेदारी भूमि पर पहुॅचने के लिए निजी रुप से स्वयं की भूमि में रास्ता कायम कर पहूॅच के लिए रास्ता बनाया गया है। उक्त रास्ता निजी भूमि में निजी रास्ता रहा है जिसे वर्ममान मे खसरा नं. 417 रेवेन्यु रेकार्ड में अलग से बतया गया है। औार नक्शे में भी गलत तरीके से बिलानाम रास्ता अंकित कर दिया गया है। तत्कालीन खसरा संख्या 417 पूर्व में खसरा संख्या 418 का ही भाग रहा है और अपीलान्ट द्वारा स्वयं की कृषि भूमि पर सुविधा की दृष्टि से निजी भूमि में रास्ता बनाया गया है। आराजी नं. 417 को सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयों द्वारा गड़बड़ी कर बिलानाम रास्ता दर्ज कर दिया और नक्शे में भी गलत तरीके से बिलानाम रास्ता अंकित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी पुराने रेकार्ड को देखे मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करने में भारी भूल की है। आगे यह भी बताया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को वाद के रुप में बिना पढ़े बिना विवेचन के निर्णय पारित कर दिया गया। बस्सी केम्प के बाद कब पेशी नियत रखी गई, कोई जानकारी अपीलान्ट को नही रही है। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का मौका दिये निर्णय पारित कर दिया गया। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2015 अपास्त किया जाकर खसरा नं. 417 बिलानाम सरकार का अंकन हटाया जाकर रेकार्ड एवं नक्शें में खसरा नं. 417 को अपीलान्ट के खाते में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान कराने का कथन किया।

विद्वान अधिवक्ता राज्य अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि उपखण्ड़ अधिकारी रावतभाटा द्वारा निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेशी दिनांक 27.05.2015 को पक्षकारान की उपस्थिति में लोक अदालत केम्प

बस्सी मे दिनांक 05.06.2015 की पेशी नियत किया जाना एवं केम्प बस्सी पर प्रार्थी/ अप्रार्थी की उपस्थिति में बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया है। जिससे वकील प्रार्थी का यह कथन सही नहीं है कि पक्षकारों को सुना नहीं गया। और केम्प पर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा मौका देखने का निवदेन करने पर मौका देखा गया एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि आराजी नं. 417 गै.मु. रास्ता दर्ज है। जो कि आमजन के लिए चालु है। यह भी बताया कि अपीलान्ट द्वारा आराजी नं. 417 के बारे में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि यह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में रहीं हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट अपास्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। मौझा खरणाई तहसील रावतभाटा में खसरा नं. 418, 442, 430, 831, 816, 819 कुल किता 6 कुल रकबा 30.97 है0 भूमि प्रार्थी/अपीलान्ट के खातेदारी की है। अपीलान्ट का कथन है कि तत्कालीन खसरा संख्या 417 पूर्व में खसरा संख्या 418 का ही भाग रहा है और अपीलान्ट द्वारा स्वयं की कृषि भूमि पर सुविधा की दृष्टि से निजी भूमि में रास्ता बनाया गया है। आराजी नं. 417 को सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयों द्वारा गड़बड़ी कर बिलानाम रास्ता दर्ज कर दिया और नक्शे में भी गलत तरीके से बिलानाम रास्ता अंकित कर दिया। जबकि राजस्व अधिकारीयों द्वारा मौका देखा गया एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि आराजी नं. 417 गै.मु. रास्ता दर्ज है। जो कि आमजन के लिए चालु है एवं अपीलान्ट द्वारा आराजी नं. 417 के बारे में ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि यह भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में रहीं हो एवं अपीलान्ट का यह कथन भी सही नहीं है कि उन्हें सुना नहीं गया जबकि प्रार्थी/अप्रार्थी की उपस्थिति में बहस सुनी गई है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2015 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी रावतभाटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर